

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम सुरताराम वगै०

किस्म मुकदमा धारा दावा 177

मुकदमा न० 78/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। बहस सुनी गई। अतः भूमि खेत ख०न० 1509/1204 रकबा 0.10 है० एवं ख०न० 1511/1204 रकबा 0.18 है० स्थित ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है। अतः वाद वादीगण को स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने अपनी लिखित रिपोर्ट में बताया की उक्त खसरा नम्बर में पिल्लर, गद व नींव भरकर निर्माण कार्य किया हुआ है। मौके पर भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी कर दी गई है अतः संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर, खातेदार/ कब्जेदार/ अंतरक/ अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि खेत ख०न० 1509/1204 रकबा 0.10 है० एवं ख०न० 1511/1204 रकबा 0.18 है० स्थित ग्राम सूरजगढ़ को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं विधिसम्मत कार्यवाही कर जमाबन्दी में स्पष्ट अंकन करे की प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 177 का उल्लंघन करने पर भूमि को सिवायचक किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।</p>	

25/3/22